न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 90/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत
रजिस्टर्ड कार्यालय– 27ए, डवलप्ड इन्डस्ट्रियल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई–600032
शाखा कार्यालय– 21/22, ऊपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रेनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर–302018

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **अशोक कुमार जाखड़ पुत्र जीवण राम जाखड़**
   पता– बाय तहसील दांतारामगढ़ लिखमा का बास, जिला सीकर, राजस्थान–332601
   अन्य पता– पट्टा नम्बर 61, ग्राम व ग्राम पंचायत लिखमा का बास, पंचायत समिति व तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332601
2. **राजू बधाला पत्नि लाला राम**
   पता– वार्ड नं. 3, खाचरियावास, जिला सीकर, राजस्थान–332710
   अन्य पता– पट्टा नम्बर–61, ग्राम व ग्राम पंचायत लिखमा का बास, पंचायत समिति व तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332601
3. **मनोज कुमार जाखड़ पुत्र जीवण राम जाखड़**
   पता– बाय तहसील दांतारामगढ़ लिखमा का बास, जिला सीकर, राजस्थान–332601
   अन्य पता– पट्टा नम्बर 61, ग्राम व ग्राम पंचायत लिखमा का बास, पंचायत समिति व तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332601

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

आदेश

दिनांकः– 16 दिसंबर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री राहुल पारीक** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **अशोक कुमार जाखड़ पुत्र जीवण राम जाखड़,**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर

राजू बधाला पत्नि लाला राम एवं **मनोज कुमार जाखड़ पुत्र जीवण राम जाखड़** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अशोक कुमार जाखड़ पुत्र जीवण राम जाखड** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर–61, ग्राम व ग्राम पंचायत लिखमा का बास, पंचायत समिति व तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332601** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 168 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में गोपाल लाल चाहिल का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में भगवान सहाय का भूखण्ड, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में शांति देवी पत्नी तुलसीराम शर्मा की भू–सम्पदा की सम्पत्ति स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल 6,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये छः लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.05.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.05.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **अशोक कुमार जाखड़ पुत्र जीवण राम जाखड़, राजू बधाला पत्नि लाला राम** एवं **मनोज कुमार जाखड़ पुत्र जीवण राम जाखड़** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अशोक कुमार जाखड़ पुत्र जीवण राम जाखड** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर–61, ग्राम व ग्राम पंचायत लिखमा का बास, पंचायत समिति व तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332601** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 168 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में गोपाल लाल चाहिल का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में भगवान सहाय का भूखण्ड, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में शांति देवी पत्नी तुलसीराम शर्मा की भू–सम्पदा की सम्पत्ति स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **16 दिसंबर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर